राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 229 / 2025

गौतम राज चौधरी —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए उपायुक्त सह संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
3. जिला कलक्टर, नागौर जिला नागौर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री डी एस सोढा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी का आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नलक–7) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, नागौर के पद से डीडवाना–कुचामन किया है।
3. अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी को बार–बार स्थानांतरण कर हैरान–परेशान किया जा रहा है। अपीलार्थी का 16 माह में 6 बार स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में वर्तमान में आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नलक–7) को अपास्त किया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
5. हमने अपीलार्थी के द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। हम पाते है कि अपीलार्थी का वर्तमान स्थान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, नागौर में स्थानांतरण दिनांक 30.06.2024 को हुआ था। वर्तमान स्थान पर अपीलार्थी 6 माह से अधिक समय से पदस्थापित है। अपीलार्थी को वर्तमान में नव गठित जिले में पदस्थापित किया गया है, जो प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के हित में किया गया है। यह भी प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो। यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि किसी कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है।
6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)